

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1978/भाद्र 10, 1900

No. 411] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1978/BHADRA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1978

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०प्रा० 539 (अ)/सं० ई (सी) प्रो, 1977/ए एम (69):—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के बंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 35वां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।

2. खुला सामान्य लाइसेंस-4 में निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में क्रम सं० 26 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:—

1	2	3	4
27.	तिल बीज	बी० 23(iii)	राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि० (एन ए एफ ई डी)

[मिसिल सं० 42(7)/78-ई-2]

का० वें० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1978

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 539(E)/No. E(C) O, 1977/AM(69).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirty-fifth Amendment Order, 1978.
2. In Exports (Control) Order, 1977, in OGL-4, the following entry shall be added after S. No. 26 :—

1.	2.	3.	4.
27.	Sesame Seed	B. 23 (iii)	National Agricultural Co-operative Marketing Federation Ltd. (NAFED).

[F. No. 42(7)/78-EM]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports